

662/2018/18  
12/15/18



फार्म

\* प्रथम नियुक्ति के समय अवचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मिखिन्द रोड़े 2. वर्तमान धारित पद निज सचिव  
- 3. वर्तमान वेतन 35012 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-2018

उस दिने, उप संभाव, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो कतना दवे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार वर्णित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्णन की तारीख और जिससे वर्णित की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
होशंगाबाद जिला के ड्यारकी नगर में	① आवाक कु 116-15 महर्षि नगर ड्यारकी		2000000	पत्निके नाम पर (मिखिन्द रोड़े)	वेतन बचत व भूखण्डे	7	
	②	भूखण्ड 1168 वर्ग फुट ग्राउण्डवेल्स कालोनी	1570000	स्वयं के नाम पर (मिखिन्द रोड़े)	भूखण्ड संपत्ति, पत्निके द्वारा लिफ्टे गये भूखण्ड एवं बचत से	7	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतनाया जाए।  
\*\*\* इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1958 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अपनी ही अवधि के पर्यन्त वह घोषणा पुत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा वर्णित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अवचल संपत्ति के स्वरि दें।

हस्ताक्षर [Signature]  
नाम मिखिन्द रोड़े  
पद निज सचिव, मीठाकट्टा पश्क  
मध्य प्रदेश विधान सभा